9 वेतन शीर्ष से आय

Income from Salary Head

9.1 वेतन से अभिप्राय: एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त होने वाली नगद राशि तथा नियोक्ता द्वारा दी गई निःशुल्क या रियायती सुविधाओं का मौद्रिक मूल्यांकन है, अर्थात् सकल वेतन (Gross Salary) में निम्न शामिल होंगें :–

1. सभी नगद प्राप्तियॉ :– मूल वेतन, कर योग्य /कर मुक्त भत्ते, बोनस, कमीशन आदि।
2. परिउपलब्धियों का मूल्यांकन रियायती/ निःशुल्क मकान, कार आदि की सुविधा।
3. अग्रिम वेतन, बकाया वेतन (यदि इस वेतन पर पूर्व में आयकर नही दिया गया हो तो)।
4. अवकाश ग्रहण पर ग्रेच्यूटी, क्षतिपूर्ति, एकमुश्त वेतन आदि।
5. वेतन के स्थान पर लाभ (Profit in lieu of salary) तथा
6. नवीन पेंशन योजना NPS या भविष्यनिधि खातें में, नियोक्ता का अंशदान।

9.2 वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य:

(अ) कोई भी प्राप्ति, वेतन तभी मानी जाएगी, जब वेतन देने वाले तथा प्राप्त करने वाले के बीच, नियोक्ता कर्मचारी का संबंध हो। उदा –संसद एवं विधानसभा के सदस्यों का वेतन या पारिश्रमिक वेतन शीर्ष के अंतर्गत शामिल नही होता, क्योंकि संसद एवं उसकें सदस्यों के बीच नियोक्ता तथा कर्मचारी का संबंध नही होता।

(ब) आयकर की दृष्टि से, वेतन एवं मजदूरी शब्द में कोई भेद नही किया गया है। कर्मचारी या श्रमिक को अपनी सेवाओं के प्रतिफल में जो भी पारिश्रमिक मिलता है, वेतन कहलाता है।

(स) वेतन अर्जित होते ही आय की श्रेंणी में आ जाता है, चाहे वास्तविक भुगतान, करदाता को, वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ हो या नही। इस प्रकार वेतन का प्राप्त होना या भुगतान होना, दोनो में जो पहले हुआ हो, के आधार पर वेतन कर योग्य होगा – जैसे – शासकीय कर्मचारियों की दशा में वेतन अगले माह की पहली तारीख को, देय (Due) होता है, अर्थात् जनवरी माह का वेतन 1 फरवरी को देय होगा। अतः आयकर की दृष्टि से, मार्च 2015 से लेकर फरवरी 2016 तक का वेतन 12 माह का वेतन, वित्तीय वर्ष 2015–16 की, आय मानी जाती है। परन्तु जिन कर्मचारियों का वेतन माह के अंतिम दिन देय होता है, उनके लिए अप्रेल 2015 से लेकर मार्च 2016 तक का 12 माह का वेतन, वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आय मानी जाएगी।

(द) अवकाश ग्रहण के बाद, नियोक्ता से कर्मचारी को प्राप्त होने वाली नियमित मासिक पेंशन भी, वेतन शीर्षक की आय मानी जाएगी, लेकिन कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को मिलने वाली परिवार पेंशन (Family Pension) ऐसे प्राप्तकर्ता सदस्य की, अन्य साधनों से (Income from other source) आय मानी जाएगी।

9.3 वेतन शीर्ष से आय की गणना कैसे करें ?

(अ) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त मूलवेतन, मंहगाई भत्ता मकान किराया भत्ता तथा अन्य कर योग्य भत्तों एवं कर मुक्त भत्तों से प्राप्त राशि एवं नियोक्ता का NPS में अंशदान शीर्षवार लिख कर योगफल कर लें।

(ब) यदि कर्मचारियों को निम्नलिखित परिउपलब्धियॉ मिलती है, तो इनका मूल्यांकन कर, इसे उपरोक्त में जोड़ना आवश्यक है (परिउपलब्धियां जैसे – रियायती / मुफ्त आवासीय सुविधा, चिकित्सा भत्ता, घरेलू नौकर, परिवहन, सुविधा, मुफ्त / रियायती गैस, बिजली पानी, शैक्षणिक सुविधा आदि)

(स) वेतन के स्थान पर अन्य लाभ (Profit in lieu of salary) – सेवा अनुबंध में (परिवर्तन/समाप्ति के कारण) वर्तमान या पूर्व नियोक्ता से प्राप्त राशि तथा कीमैन (Key man) बीमा से प्राप्त राशि उसे इस श्रेणी में लिया जाय) इस प्रकार शीर्ष अ, ब, स का योगफल सकल वेतन (Gross Salary) होगी।

(द) अब इसमें से धारा 10 के तहत पूर्णतः कर मुक्त या आंशिक करमुक्त भत्तों की राशि घटा लेवें।

(इ) तत्पश्चात धारा 16 के तहत वृत्तिकर (Professional Tax) की राशि घटाएं। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन शीर्ष से आय (Income from salary Head) मानी जायेगी।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:28 PM

पूर्णतः कर योग्य भत्ते (Taxable Allowance)

1	मंहगाई भत्ता	(DA)	8	टिफिन भत्ता	(Tiffin Allowance)
2	अंतरिम राहत	(IR)	9	प्रतिनियुक्ति भत्ता	(Deputation Allowance)
3	शहर पूरक भत्ता	(CCA)	10	नौकर भत्ता	(Servant Allowance)
4	नान प्रेक्टिस एलाउंस	(N.P.A.)	11	पेंशन /वार्षिकी	(Pension /Annuity)
5	ओव्हर टाईम भत्ता	(O.T.A.)	12	जीवन निर्वाह भत्ता	(Subsistance Allowance)
6	बोनस	(Bonus)	13	परियोजना भत्ता	(Project Allowance)
7	मानदेय	(Hororarium)	14	निश्चित चिकित्सा भत्ता	(Fixed Medical Allow.)

आंशिक/ पूर्णतः करमुक्त भत्तें (Partially / Fully Tax free Allowance)

1. **अवकाश यात्रा रियायत (Value of Leave Travel Concession) धारा 10(5) :** कर्मचारी स्वयं, पत्नि/पति, आश्रित माता–पिता, भाई बहन और बच्चों को, छुट्टियों के दौरान या सेवा निवृत्ति या सेवा समाप्ति पर, भारत के किसी स्थान तक भ्रमण के लिए रियायत या सहायता के रूप में दी गई राशि, वास्तविक व्यय की सीमा तक करमुक्त होगी। अर्थात् यात्रा नही करने पर, अवकाश यात्रा रियायत नगदीकरण के रूप में प्राप्त राशि, पूर्णतः कर योग्य होगी।

2. **परिउपलब्धियों पर देय कर भुगतान (Tax paid on Perquisite) धारा 10 (10CC) :** यदि नियोक्ता चाहे तो, परिउपलब्धियों पर, कर्मचारियों द्वारा देय आयकर का भुगतान, स्वयं कर सकता है तथा इस प्रकार नियोक्ता द्वारा वहन की गई कर की राशि, कर्मचारी के लिए कर मुक्त होगी।

3. **मकान किराया भत्ता (HRA) धारा 10 (13A)**
   (i) यदि किराए के मकान में रहतें हो तो प्राप्त मकान किराया भत्ते का कर मुक्त अंश, निम्न में से जो कम हो
      1. मकान किराए भत्तें के रूप में प्राप्त राशि।
      2. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक, किराए के रूप में दी गई राशि।
      3. वेतन का 40 प्रतिशत (अन्य शहरों के लिए), 50 प्रतिशत (महानगरों के लिए)

   नोट :
   (अ) यदि किराये के मकान में पूरे वर्ष के स्थान पर, कुछ माह के लिए ही निवास करतें हो तो उपरोक्त गणना के लिए वेतन भी केवल उन्ही माह के संदर्भ में ले लिया जावेगा।
   (ब) वेतन = वेतन् + ग्रेड पे + महगांई भत्ता (यदि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल किया जाए
   (स) जिन्हे प्रतिमाह 3000 रू तक HRA मिल रहा हो, उन्हे मकान किराया की रसीद जमा करने की छूट दी गई है। परंतु यदि आयकर अधिकारी, रसीद मांगे तो दिखाना आवश्यक है।

   (ii) यदि स्वयं के मकान में रहते हो तो प्राप्त मकान किराया भत्ता (HRA) पूर्णतः करयोग्य होगा।

4. **धारा 10 (14) के तहत आंशिक/पूर्णतः कर मुक्त भत्तें कुछ भत्तों का विवरण निम्नानुसार है –**

भत्तों का विवरण	कर मुक्त अंश
वर्दी भत्ता (Uniform Allowance)	वास्तविक खर्च की सीमा तक
यात्रा भत्ता (Travelling Allowance)	वास्तविक खर्च की सीमा तक
धुलाई भत्ता Washing Allowance)	वास्तविक खर्च की सीमा तक
सहायक भत्ता (Compensatory/Helper Allow)	वास्तविक खर्च की सीमा तक
वाहन भत्ता (Conveyance Allowance)	वास्तविक खर्च की सीमा तक
परिवहन भत्ता (Transport Allowance)	सामान्य को 1600 रू परन्तु विकलांग को 3200 रू. माह
आदिवासी एरिया भत्ता (Tribal Area Allowance)	200 रू. (कुछ क्षेत्रों में) प्रतिमाह
बाल–शिक्षा भत्ता (Children Education All.)	100 रू. प्रतिमाह तक (केवल 2 बच्चों को)
छात्रावास भत्ता (Hostel Expenses All.)	300 रू. प्रतिमाह तक (केवल 2 बच्चों को)